प्रथम विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण
पुस्तिका

दिनांक 28 जुलाई, 2003 से 30 जुलाई, 2003

अष्टम सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2003

(श्रावण 6, 1925)

1. राष्ट्रगीत

सदन में राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" सम्पन्न हुआ.

2. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2003 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

संविहित संकल्प	निर्धारित समय
संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 के अनुसमर्थन में संकल्प	15 मिनट

वित्तीय कार्य

वर्ष 2003-2004 के प्रथम अनुपूरक की मांगों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा.	03 घंटे

शासकीय विधि विषयक कार्य

1.	छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003	01 घंटा
2.	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003	01 घंटा
3.	छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि विधेयक, 2003	01 घंटा
4.	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट
6.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003	30 मिनट
7.	छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना)	01 घंटा

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 29 जुलाई, 2003 को विधान सभा की बैठकें 11.00 बजे दिन से 1.30 बजे तथा अपराह्न 2.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक रखी जाए.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- सदन में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई है, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. सभापति तालिका की घोषणा

माननींय अध्यक्ष ने विधान सभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नामनिर्दिष्ट किया :-

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
3. श्री महेश तिवारी
4. श्री रामविचार नेताम
5. डॉ. हरिदास भारद्वाज
6. श्री अग्नि चन्द्राकर

4. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री चरण सिंह मांझी, सदस्य विधान सभा, श्री भगतराम मनहर, राज्यसभा सदस्य, श्री लक्ष्मण ए. जामनिक, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री पँढरीराव पवार, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री बच्चन नायक, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री शीतल प्रसाद मिश्र, स्वतत्रता संग्राम सेनानी, श्री कमलनारायण शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जु भैय्या), राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री इंजी. रामेश्वर खरे, श्री हीरासिंह मरकाम ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई.

मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 2003
(श्रावण 7, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 01 प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा उत्तर दिया गया.

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 137) पर चर्चा के दौरान व्यवधान होने से 11.23 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई. 11.39 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही पुनः व्यवधान होने से 11.45 बजे सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक स्थगित की गई.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 02 प्रश्नों तथा 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी सम्मिलित थे.

दोपहर 12.23 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश 2003 (क्रमांक 2 सन् 2003) पटल पर रखा.

2. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 3 सन् 2003) पटल पर रखा.

3. श्री विधान मिश्रा, सहकारिता राज्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 4 सन् 2003) पटल पर रखा.

4. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 5 सन् 2003) पटल पर रखा.

5. श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 6 सन् 2003) पटल पर रखा.

6. श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 7 सन् 2003) पटल पर रखा.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 2000-2001 पटल पर रखा.

2. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) तथा उसके साथ पठित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,

2000 की धारा 35 (1) की अपेक्षानुसार :-

(1) वित्त लेखे वर्ष 2001-2002 (छत्तीसगढ़ सरकार)

(2) विनियोग लेखे वर्ष 2001-2002 (छत्तीसगढ़ सरकार)

पटल पर रखे.

4. फरवरी-मार्च, 2003 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार फरवरी-मार्च, 2003 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गये.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2003 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2003 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित विधेयकों में से 14 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक् से वितरित किया जा रहा है.

7. वर्ष 2003-2004 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने वर्ष 2003-2004 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 17 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

2. श्री विधान मिश्रा, सहकारिता राज्य मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 18 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

3. श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि विधेयक, 2003 (क्रमांक 20 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

4. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 21 सन् 2003) पुरः स्थापित किया.

5. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

6. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 23 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

7. श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक, 2003 (क्रमांक 24 सन् 2003) पुरःस्थापित किया.

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री महेश तिवारी, सभापति, लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

10. विधान सभा भवन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की सदन को सूचना

माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु, विधान सभा सत्र दिनांक 30 जुलाई, 2003 को विधान सभा भवन के कक्ष क्र. बी- 16 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं समीप के कक्ष में नेत्र, दन्त तथा नाक कान गला परीक्षण हेतु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है.

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आवश्यकतानुसार लाभ प्राप्त करें.

11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 10 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 29-7-2003 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिलान्तर्गत ग्राम छुरिया में इस वर्ष हुए कक्षा आठवीं के स्वाध्यायी (अनु. जाति) के छात्र को आज पर्यन्त पुनर्मूल्यांकन के परिणाम नहीं दिये जाने संबंधी सूचना.

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों के भू-अभिलेखों में अव्यवस्था एवं अद्यतीकरण के प्रति लापरवाही होने संबंधी सूचना.

3. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की समूचे प्रदेश सहित जांजगीर-चांपा जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार होने संबंधी सूचना.

4. श्री धरम कौशिक, सदस्य की प्रदेश में राज्य शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति में अनियमितता होने संबंधी सूचना.

5. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव जिले के शासकीय आई.टी.आई. में मशीन एवं अन्य उपकरणों का अभाव होने संबंधी सूचना.

6. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की सक्ती विधान सभा क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु किसानों के अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने संबंधी सूचना.

7. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की धमतरी जिला में संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किए जाने संबंधी सूचना.

8. श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य की शा.उ. मा. वि. घरघोड़ा जिला रायगढ़ के प्राचार्य के खिलाफ जांच प्रमाणित होने पर उसे हटाये जाने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने संबंधी सूचना.

9. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की प्रदेश के जगदलपुर सहित अनेक जिलों में मार्कफेड द्वारा घटिया गुणवत्ताहीन सुपर फास्फेट प्रदान किए जाने संबंधी सूचना.

10. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य की मुख्यमंत्री द्वारा महापौर पर दलबदल हेतु दबाव डाले जाने संबंधी सूचना.

12. अध्यक्षीय आदेश

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय द्वारा प्रस्तुत याचिका दिनांक 18 जून, 2002 पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार अध्यक्षीय आदेश सदन में पढ़कर सुनाया :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नंद कुमार साय द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत बनाए गए छत्तीसगढ़ विधान सभा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत मेरे द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2001 को निरस्त किये जाने एवं उक्त आदेश में उल्लेखित

सदस्यों को दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के अंतर्गत निरर्हित किए जाने संबंधी एक याचिका दिनांक 18-6-2002 प्रस्तुत की है.

इस याचिका में मान. नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोपित किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 (अध्यक्ष, विधान सभा) ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में वर्णित विधिक प्रावधानों के बिना अध्ययन किये दिनांक 21-12-2001 को छत्तीसगढ़ विकास पार्टी को मान्यता देते हुए उसके कांग्रेस में विलय के आदेश को निरस्त किया जाए तथा 12 विधायक जिन्हें अनावेदक क्रमांक 2 से 13 के क्रम में वर्णित किया गया है, को दसवीं अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निरर्हित किया जाए. मान. नेता प्रतिपक्ष ने आदेश दिनांक 21-12-2001 को विधि एवं संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी निरूपित किया है.

इस संबंध में मैंने नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया. संविधान की दसवीं अनुसूची एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ विधान सभा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अंतर्गत संविधान की दसवी अनुसूची एवं उसके अंतर्गत निर्मित दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत पारित आदेश को निरस्त किया जा सकता हो अथवा उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता हो.

यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक मान. नेता प्रतिपक्ष ने इसके पूर्व भी एक आवेदन दिनांक 19-1-2002 को प्रस्तुत किया था और इस आवेदन में भी आदेश, पत्रक भाग-2, क्रमांक 138, दिनांक 21-12-2001 को संदर्भित करते हुए दलबदल नियमों के अंतर्गत आदेश में उल्लेखित सदस्यों को निरर्हित करने का अनुरोध किया गया था. चूंकि मेरे द्वारा दसवीं अनुसूची एवं उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधान सभा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम के परिप्रेक्ष्य में, निरर्हता से ग्रसित नहीं होने के संबंध में विनिश्चय किया जा चुका था और ऐसे मामलों में दसवीं अनुसूची अथवा उसके अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों में पुनर्विचार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त अर्जी को अग्राह्य किया जा चुका था, तदनुसार इसकी सूचना भी मान. नेता प्रतिपक्ष को दिनांक 19-2-2002 को दे दी गई थी.

मान. नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत अर्जी दिनांक 19-1-2002 को खारिज करने के बावजूद याचिका दिनांक 18-6-2002 दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम 6 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की. अतः इस याचिका पर निर्णय लेने के पूर्व याचिकाकार का बयान लेकर व अनावेदक क्रमांक 2 से 13 से याचिका के संबंध में टीप प्राप्त करते हुये प्रकरण विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करते हुए मैंने समिति से इस बिन्दु पर प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची अथवा इसके अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये गये किसी मामले में क्या अध्यक्ष को ऐसे पूर्व निर्णित मामले पर पुनर्विचार करने की अधिकारिता है अथवा नहीं ? और क्या इस संबंध में कोई न्याय निर्णय उपलब्ध है ताकि तद्नुसार मान. नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर निर्णय लिया जा सके. याचिका को नियम 7 (4) के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2002 को मैंने विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया था.

विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन मुझे दिया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत विनिश्चित किसी मामले पर अथवा निर्णित किए गए किसी विषय पर मान. अध्यक्ष पुनर्विचार कर सके, ऐसा कोई प्रावधान न तो नियमों में उपलब्ध है और न ही समिति को मान. नेता प्रतिपक्ष ऐसा कोई प्रावधान अथवा न्याय निर्णय की जानकारी दे सके हैं. प्रतिवेदन में यह उल्लेखित है कि मान. नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए गए किसी मामले पर पुनर्विचार करने अथवा पूर्व के आदेश को निरस्त करने के संबंध में ए.आई.आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 448 का पैरा 39 एवं ए.आई.आर 1998 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 3340 को संदर्भित करते हुए यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि मान. अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21 दिसंबर, 2001 को दिया गया निर्णय प्रशासनिक निर्णय था और उनके द्वारा जो याचिका दिनांक 18-6-2002 को प्रस्तुत की गई है, वह संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों में उल्लेखित "अधिकरण" के समक्ष प्रस्तुत याचिका है, जिस पर अध्यक्ष को निर्णय देने का अधिकार है.

मान. नेता प्रतिपक्ष ने समिति के समक्ष यह भी प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत निर्मित दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष ही याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं और विशेषाधिकार समिति को न्यायिक अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते, इस मामले पर मैं समिति के इस निष्कर्ष से अपने आपको पूर्णतः सहमत पाता हूं कि -
"संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम 7 (4) के अंतर्गत मान. अध्यक्ष किसी प्रश्न को अवधारित करने के पूर्व चाहे तो प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं." और उससे प्रारंभिक रिपोर्ट ले सकता है.

समिति के समक्ष साक्ष्य में मान. नेता प्रतिपक्ष ने जिन न्याय निर्णयों को संदर्भित किया है, वस्तुतः वे यह अवधारित करते हैं कि **"अध्यक्ष द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत दिए गए निर्णय सभा के अध्यक्ष के नाते नहीं, अपितु प्रावधानों के अंतर्गत अधिकरण की हैसियत से दिए जाते हैं. अतः इन निर्णयों को सभा की कार्यवाही का भाग नहीं माना जा सकता. इस मामले में भी मैं समिति के मत से अपने को सहमत पाता हूं कि मान. नेता प्रतिपक्ष ने जिन न्याय निर्णयों का हवाला साक्ष्य के दौरान दिया है, उससे इस बिन्दु पर प्रकाश नहीं पड़ता कि संविधान की दसवीं अनुसूची अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत मान. अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए गए मामले में क्या उनके द्वारा पुनर्विचार अथवा पुनरावलोकन किया जा सकता है ?"**

प्रतिवेदन में समिति ने 1992 ए.आई.आर., एस.सी.डब्ल्यू. 3497 को संदर्भित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक न्याय निर्णय का हवाला भी दिया है, जिसमें यह विनिश्चित किया गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष को किसी निर्णय के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा अध्यक्ष के निर्णय पर केवल न्यायिक पुनरावलोकन ही किया जा सकता है.

उपरोक्त विवेचना का निष्कर्ष यही है कि संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम अथवा संविधान की दसवीं अनुसूची और इसके अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर बनाए गए निरर्हता नियमों के अंतर्गत विनिश्चित किए गए किसी मामले में अथवा किसी आदेश पर पुनर्विचार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है. अत: मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की याचिका दिनांक 18-6-2002 को अग्राह्य करता हूं.

13. मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके पास मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष की प्राप्त हुई है, जिसे वे पढ़कर सुनाते हैं :-

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी एवं उनके मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करता है."

माननीय अध्यक्ष ने सदन से जानना चाहा कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जाएं.

(उपस्थित भाजपा सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

चूंकि 9 से अधिक सदस्य खड़े हुये हैं इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं अनुमति देता हूं.

14. मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि "यह सदन मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी व उनके मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करता है."

श्री गणेश शंकर वाजपेयी, सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व सदन में उल्लेख किया कि विपक्ष द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर जब मुख्यमंत्री जी चर्चा का जवाब दे रहे थे उस समय प्रतिपक्ष द्वारा सदन से बहिष्कार किया गया था. अत: सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने में असमर्थ है.

(श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री तथा डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्य को छोड़कर सदन में उपस्थित समस्त सत्तापक्ष के सदस्य प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित नहीं रहे)

15. अध्यक्षीय व्यवस्था

अविश्वास प्रस्ताव एवं निन्दा प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

मेरे समक्ष माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं नारायण प्रसाद चंदेल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मान. श्री अमितेष शुक्ल, मान. सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर एवं शिवरतन शर्मा द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मान. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर एवं शिवरतन शर्मा द्वारा कृषि मंत्री मान. डॉ. प्रेमसाय सिंह, मान. सदस्य सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा वित्त मंत्री मान. श्री रामचन्द्र सिंहदेव के विरुद्ध चार पृथक्-पृथक् निन्दा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उक्त निन्दा प्रस्ताव के साथ ही मुझे मान. नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य 16 सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मान. मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध भी प्राप्त हुई है.

चूंकि अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल पाया गया है और कार्य मंत्रणा समिति में उस पर चर्चा हेतु तिथि का निर्धारण भी हो चुका है, अत: अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार एवं सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए चर्चा का अवसर भी उपलब्ध रहेगा, अत: मैने निन्दा प्रस्तावों पर अलग से चर्चा के लिए सम्मति नहीं दी है, किन्तु मैने इस आशय की अनुमति दी है कि सदस्य जिन्होने निन्दा प्रस्ताव दिया है वे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन आरोपों पर भी चर्चा कर अपना पक्ष रख सकते हैं.

16. मंत्रि परिषद् के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री महेश तिवारी

(अपरांह्न 1.31 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बनवारीलाल अग्रवाल

(मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन में प्रवेश किया)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति चाही कि क्या सदन सांय 5.00 बजे के बाद चर्चा पूर्ण होने तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखना चाहता है ?

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री तथा डॉ. रामलाल भारद्वाज को छोड़ शेष सत्ता पक्ष के सदस्य सदन से पुनः बाहर गए)

श्री रामविचार नेताम

सर्वश्री ननकीराम कंवर, लीलाराम भोजवानी, शिवरतन शर्मा.

सर्वश्री छतराम देवांगन, गौरीशंकर अग्रवाल

सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, संजीव शाह, धरम कौशिक, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, चोवादास खांडेकर, जगजीत सिंह मक्कड़.

श्री अजय चन्द्राकर

सर्वश्री मेघाराम साहू, विक्रम मोहले, दाऊराम रत्नाकर

श्री इंजी. रामेश्वर खरे, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने चर्चा में भाग लिया.

माननीय उपाध्यक्ष ने उत्तर हेतु माननीय मुख्यमंत्री को पुकारा.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जैसे ही चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़े हुए श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने संसदीय पद्धति और प्रक्रिया पुस्तक के पृष्ठ 958 "सभा में मंत्रियों की उपस्थिति" का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए मुख्यमंत्री जी तथा जिन मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव दिया गया है उन्हें इस पर बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए. और यदि उत्तर दिया जाना है तो पहले निंदा प्रस्तावों का उत्तर संबंधित मंत्री दे.

प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा संपूर्ण चर्चा का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने पर लगातार आपत्ति की गई.

लगातार व्यवधान होने से रात्रि 1.20 बजे सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. 1.26 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

कार्यवाही प्रारंभ होते ही मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने चर्चा का उत्तर देना चाहा किन्तु व्यवधान के कारण माननीय मुख्यमंत्री चर्चा का उत्तर नही दे सके.

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ.

प्रस्ताव के पक्ष में 23 मत तथा विपक्ष में 54 मत प्राप्त हुए.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ.

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2003
(श्रावण 8, 1925)

1. अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित अतिथि की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्या आदरणीया श्रीमती अनिता वर्मा, सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित है. वे सदन की ओर से उनका स्वागत करते हैं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

(राष्ट्रीय फसल बीमा योजना संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 114) पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मामला उठाया कि वर्तमान विधान सभा के सदस्य स्वर्गीय श्री चरणसिंह मांझी की मृत्यु स्वाभाविक न होकर जहर देकर उनकी हत्या की गई है, और इस संबंध में उनके द्वारा सदन की समिति से जांच कराने की मांग की गई है.

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आपका आवेदन माननीय अध्यक्ष के समक्ष लंबित है और वे उस पर विचारोपरांत निर्णय लेंगे.

व्यवधान होने से 12.07 बजे सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित हुई. 12.28 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) तथा उसके साथ पठित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 35 (1) की अपेक्षानुसार -

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष का (सिविल) खण्ड-1 एवं भाग-2 (सिविल) (मध्यप्रदेश सरकार), तथा

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष का (छत्तीसगढ़ सरकार) पटल पर रखा.

(2) श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-225/राजस्व/2003, दिनांक 13 मई, 2003 पटल पर रखी.

(3) श्री सत्यानारायण शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (दिनांक 1-7-2000 से 30-6-2001 तक) पटल पर रखा.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियमन, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) की धारा 38 की अपेक्षानुसार श्री रावतपुरा सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) की प्रथम संविधियां पटल पर रखी.

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) की धारा 25 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-73-78/03/उ.शि./38, दिनांक 15 जुलाई, 2003 पटल पर रखी.

(6) श्री सत्यनारायण शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) की धारा 5 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उच्च शिक्षा विभाग की निम्नलिखित :-

(1) अधिसूचना क्रमांक 3240/एफ-73-70/2003/उ.शि./38 दिनांक 18 जुलाई, 2003
(2) अधिसूचना क्रमांक 3242/एफ-73-70/2003/उ.शि./38 दिनांक 18 जुलाई, 2003
(3) अधिसूचना क्रमांक 1682/एफ-73-141/एच.ई./03 दिनांक 9 अप्रैल, 2003
(4) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-78/2003/उ.शि./38 दिनांक 28 जून, 2003
(5) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-80/2003/उ.शि./38 दिनांक 1 जुलाई, 2003
(6) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-63/2003/उ.शि./38 दिनांक 9 जून, 2003
(7) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-74/2003/उ.शि./38 दिनांक 2 जुलाई, 2003
(8) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-64/2003/उ.शि./38 दिनांक 30 मई, 2003
(9) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-45/2003/उ.शि./38 दिनांक 29 अप्रैल, 2003
(10) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-57/2003/उ.शि./38 दिनांक 26 मई, 2003
(11) अधिसूचना क्रमांक 1404/एफ-73/39/2003/उ.शि./38 दिनांक 25 मार्च, 2003
(12) अधिसूचना क्रमांक एफ-75-54/2003/उ.शि./38 दिनांक 30 मई, 2003, तथा
(13) अधिसूचना क्रमांक एफ-73-68/2003/उ.शि./38 दिनांक 12 जून, 2003

पटल पर रखीं.

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा स्वर्गीय श्री चरणसिंह मांझी की मृत्यु का मामला पुन: उठाये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि श्री चरणसिंह मांझी, सदस्य की मृत्यु पर गृहमंत्री की घोषणानुसार अगर पूरे तथ्य और आते हैं, जो कि दिये जाने चाहिए, तो मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जारी किये जायेंगे.

माननीय अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दी कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री, सदस्य श्री शिवरतन शर्मा या और किसी के बारे में भी यदि कोई भी आरोपात्मक बात सदन में कही गई है उन सबको वे विलोपित करते हैं.

4. ध्यानाकर्षण

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज कि कार्य सूची में 17 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा व्यक्त दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष के यह निर्देश है कि चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं में केवल वे ही सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे जिनके नाम कार्य सूची में हैं, अन्य कोई नहीं.

कार्य सूची में दर्शित सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे 1-1, 2-2 प्रश्न पूछकर सहयोग दें.

आज कार्य ज्यादा है सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा है.

1. सर्वश्री धरम कौशिक, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री, कृषि ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, धरम कौशिक, सदस्य ने प्रदेश की पाठशाला में बिना किसी पूर्व तैयारी के सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम लागू किये जाने के संबंध में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

4. सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में धान खरीदी एवं भंडारण में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्यमंत्री, खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा मंत्रियों के वक्तव्य

5. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी भवन निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य.

6. सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, नारायण प्रसाद चंदेल, धरम कौशिक, सदस्य की प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

7. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश में नलकूप खनन एवं नलकूपों के लिए क्रय की गई सामग्री में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

8. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ातालाब की साफ-सफाई के ठेके देने में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

9. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य की कोरबा जिला अंतर्गत कोरवा आदिवासियों की भूख से मृत्यु होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

10. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों से अवैध रूप से परिवहन व्यय के रूप में करोड़ों रुपये वसूल किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

11. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की जशपुर जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्पदंश से प्राण रक्षक औषधियां उपलब्ध न होने से अनेक लोगों की मौत होने संबंधी सूचना तथा स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.

12. श्री संजीव शाह, सदस्य की जिला राजनांदगांव के ग्राम सरखेड़ा के तेंदूपत्ता गोदाम में तेंदूपत्ता से भरा ट्रक कर्मचारी की मिली भगत से जलाए जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

13. सर्वश्री रामविचार नेताम, नारायण प्रसाद चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य की सरगुजा तथा जांजगीर-चांपा जिले में किसानों को खाद्य व बीज नहीं मिल पाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

14. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति व शाला भवन का निर्माण नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

15. सर्वश्री शिवतरन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में पूर्ण कालिक खनिज अधिकारी पदस्थ नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज मंत्री का वक्तव्य.

16. सर्वश्री ननकीराम कंवर, रामविचार नेताम, सदस्य की तपकरा विधान सभा क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

17. श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य की रायगढ़ जिले के पूजी पथरा बेरियर में अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 16 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर दिनांक 30-7-2003 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा.

1. श्री धरम कौशिक, सदस्य की जिला बिलासपुर तहसील बिल्हा अंतर्गत धमनीझाल मार्ग जर्जर स्थिति में होने पर नवीनीकरण किये जाने संबंधी सूचना.

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की स्वास्थ्य विभाग द्वारा आर. सी. एच. कार्यक्रम के तहत स्टाफ नर्सों की संविदा नियुक्ति एवं वेतन नहीं दिये जाने संबंधी सूचना.

3. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की नहर नाली चौड़ीकरण एवं तालाब से जोड़े जाने संबंधी सूचना.

4. श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा के जर्जर सड़कों का नवीनीकरण नहीं किये जाने संबंधी सूचना.

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की शासकीय महाविद्यालय सिमगा में पदस्थ प्राचार्य की जघन्य/निर्मम हत्या किये जाने संबंधी सूचना.

6. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की छत्तीसगढ़ के विभिन्न मार्गो के बिना नंबरों के वाहनों से क्षमता से अधिक निरीह पशुओं को ठुसकर बुचड़खाना ले जाने के नाम पर अवैध वसूल किये जाने संबंधी सूचना.

7. श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य की जिला कोरबा में जमीनों का डायवर्सन के लिये इच्छुक आवेदकों को शासन प्रशासन द्वारा परेशान किये जाने संबंधी सूचना.

8. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की राज्य शासन की अविवेकपूर्ण निर्णय, कुव्यवस्था, लापरवाही एवं गलत नीतियों के कारण पी.एम. टी. परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किये जाने संबंधी सूचना.

9. श्री मेघाराम साहू, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा विकासखण्ड सक्ती अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना निर्माण में किसानों के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने संबंधी सूचना.

10. श्री संजीव शाह, सदस्य की जिला राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम अंबागढ़ चौकी के श्रीमती अंजनी साहू को राजीव जीवन रेखा कोष की सहायता राशि प्राप्त नहीं होने संबंधी सूचना.

11. श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य की प्रदेश में शासन द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमाधारकों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने संबंधी सूचना.

12. श्री चोवादास खांडेकर, सदस्य की जिला बिलासपुर अंतर्गत जरहागांव के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से पट्टे का वितरण कर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने संबंधी सूचना.

13. श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य की जिला रायगढ़ के घरघोड़ा तहसील में पदस्थ सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा फर्जी रूप से खाद्यान्न उठाकर एवं बेचकर राशि का गबन किये जाने संबंधी सूचना.

14. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की कृषि उपज मंडी सक्ती के अंतर्गत उप मंडी डभरा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान लोकायुक्त द्वारा कर्मचारी को रिश्वत लेते हुये पकड़े जाने पर न्यायालय में चालान पेश नहीं किये जाने संबंधी सूचना.

15. इंजी. रामेश्वर खरे, सदस्य की विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार के द्वारा शिक्षकों के भविष्य निधि खाते से अवैध तरीके से आहरण कर राशि गबन किये जाने संबंधी सूचना.

16. श्री गणेशराम भगत, सदस्य की जिला जशपुर के बगीचा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत जुरूडाट में सरपंच द्वारा भारी भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1. डॉ. रामलाल भारद्वाज, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

2. श्रीमती फुलोदेवी नेताम, सदस्य ने शासकीय आश्वासन संबंधी समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

3. श्री देवव्रत सिंह, सभापति ने याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

4. श्रीमती फुलोदेवी नेताम, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

5. श्री महेश तिवारी, सभापति ने लोक लेखा समिति का सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. डॉ. हरिदास भारद्वाज सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. प्रश्न के उत्तर में संशोधन

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने दिनांक 8-3-2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 530) के उत्तर के भाग "क" में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया.

(3.03 बजे से 4.00 बजे तक अंतराल)

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार हेतु आज 4.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था. चूंकि आज भोजनावकाश 3.00 बजे से 4.00 बजे तक होने के कारण अब अनुपूरक मांगों पर विचार होगा तत्पश्चात् विनियोग विधेयक विचार हेतु लिया जायेगा.

8. वर्ष 2003-2004 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर चर्चा

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 44, 45, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 75, 78, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन सौ अड़सठ करोड़, उनहत्तर लाख, सत्तर हजार, छः सौ पचास रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की.

सर्वश्री देवव्रत सिंह, अजय चन्द्राकर.

श्री चैनसिंह सामले, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर.

श्री शिवरतन शर्मा, श्री मदनसिंह डहरिया, डॉ. हरिदास भारद्वाज, प्रो. गोपालराम.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2003 पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

2. श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्तुत विधेयक पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि इस विधेयक के द्वारा इसमें पैसे की वसूली होगी, पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान होगा इसलिए इसमें वित्तीय ज्ञापन का होना आवश्यक है.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि यह पूर्व में प्रस्तुत मूल विधेयक का ही संशोधन विधेयक है और इसमें कोई व्यय प्रावधानित नहीं है इसलिए इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि चूंकि इस संशोधन विधेयक में कोई व्यय प्रावधानित नहीं है और उसकी वजह से उसका विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए वे अभी फिलहाल इसको उस संज्ञा में नहीं मानते और इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बनवारीलाल अग्रवाल ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

3. श्री विधान मिश्रा, सहकारिता राज्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने चर्चा में भाग लिया.

श्री विधान मिश्रा, सहकारिता राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 से 10 विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री विधान मिश्रा, सहकारिता राज्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

4. श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 61 (1) का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इस विधेयक में "निधि" शब्द का प्रयोग किया गया है चूंकि नया विधेयक यहां पर लाया जा रहा है और उसमें व्यय अन्तर्निहित है इसलिए इसमें वित्तीय ज्ञापन का होना आवश्यक है.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह वित्त विधेयक नहीं है और इसमें संचित निधि से कोई राशि खर्च हेतु नहीं दी जा रही है इसलिए इसमें वित्तीय पत्रक की आवश्यकता नहीं है.

माननीय अध्यक्ष ने भी आगे व्यवस्था दी कि खनिज विभाग की ओर से यह विकास निधि की स्थापना हो रही है और खनिज विभाग की जो बजट राशि है, उसमें से ही आवश्यकतानुसार राशि विकास निधि के नाम से सुरक्षित रखी जाएगी. इसलिए इसमें स्वतंत्र रूप से अर्जन या व्यय की स्थिति नहीं बनती है और न ही राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग हो रहा है अत: वे इस विधेयक पर विचार की अनुमति देते हैं.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 से 10 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

5. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

6. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

7. श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

8. श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए.

श्री धरम कौशिक, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 से 10 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक, 2003 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

10. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार

1. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 27 मार्च, 2003 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के पुनर्विचारित द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाए.

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर सदन का मत लिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 30 जुलाई, 2003 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाए.

माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर सदन का मत लिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किये :-

इस तीन दिन के लघु सत्र के सुखद समापन के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं. मैं यहां पर खुलकर प्रतिपक्ष की सराहना करता हूं. कभी-कभी पाबंदियां बनानी पड़ी, कभी कठोर भी होना पड़ा, आज भी कठोर हुआ, कल भी कठोर हुआ, लेकिन मेरी कठोरता में दुर्भावना थी और न आपके अनुशासन में मजबूरियां थी. यह पार्ट ऑफ गेम, बहुत अच्छे ढंग से यह हमारी विधान सभा चली उपलब्ध समय का जो अधिकतम उपयोग हुआ वह निश्चित ही सराहनीय है, मैं इस अवसर पर 1 नवम्बर, 2000 को इस राज्य के गठन पश्चात् हुए आठ सत्रों की समीक्षा भी आवश्यक समझता हूं कि हमने इस संसदीय यात्रा में क्या पाया क्या खोया. मैं जो कह रहा हूं वह पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी है.

इन आठ सत्रों की कुल सत्रावधि 186 दिन रही जिसमें सदन की कुल 118 बैठकें हुई.

यदि मुझे इस बारे में एक लाइन में कहने को कहा जाए तो मैं कहूंगा कि हमने इस दौरान बहुत कुछ पाया है और हमारे कदम काफी आगे बढ़े हैं, मेरी नजर में हमने लगभग तीन वर्ष की संसदीय यात्रा में जन-आकांक्षाओं के अनुकूल कार्य किया है. इस सदन में गंभीर से गंभीर चर्चाएं हुई और गंभीर से गंभीर निर्णय भी लिए गए हैं. इस सदन में उत्तेजना के अनेक क्षण आए लेकिन सौहार्द् और परस्पर सम्मान के जो उदाहरण हैं वे किसी भी प्रकार से कम नहीं है, राजकुमार कालेज के जशपुर हॉल से प्रारंभ हुई यह यात्रा यदि राजकुमार कालेज में हुए क्रिकेट मैच के लिए याद रहेगी तो नए विधान सभा भवन परिसर में बिदाई समारोह के आयोजन को भी भुलाया नहीं जा सकेगा.

इस सदन ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, हमने इस सदन में जो-जो स्वस्थ परम्पराएं स्थापित कीं उसे न केवल लोकसभा के अध्यक्ष वरन् देश की अन्य विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों ने भी सराहा है. इस अल्प अवधि के दौरान जो भी पीठासीन अधिकारी छत्तीसगढ़ आए वे इस विधान सभा की व्यवस्था को देखकर न केवल प्रसन्न हुए बल्कि अचंभित रह गए. पोडियम व्यवस्था का प्रारंभ, गर्भ गृह में आने पर स्वमेव निलंबन का प्रावधान मैं स्वयं देखता था कि कभी बृजमोहन जी नीचे आने को होते थे, फिर रूक जाते थे. गर्भ गृह में आने पर और सदस्यों को अधिक जिम्मेदार बनाने की नीयत से "आचरण समिति" का गठन इस बात के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं. हमारी विधान सभा के लिए यह कम गौरव की बात नहीं कि इस दौरान एक भी अवसर ऐसा नहीं आया जब कोरम के अभाव में सभा की कार्यवाही स्थगित की गई हो.

इस दौरान सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम एवं उन्हें अधिक प्रशिक्षित करने की दृष्टि से व्याख्यान मालाएं भी आयोजित की गई. इस कड़ी में सर्वश्री वसंत साठे, सुभाष कश्यप, अरूण जेटली, पूर्व लोक सभाध्यक्षों में सर्वश्री बलराम जाखड़, शिवराज पाटिल व लोक सभाध्यक्ष श्री मनोहर जोशी के अनुभवों से लाभान्वित होने का अवसर भी हमें मिला और बजट प्रशिक्षण का लाभ भी सदस्यों ने उठाया.

सदस्यों के लिए सर्वसुविधायुक्त सुसज्जित पुस्तकालय जितनी कम अवधि में बना वह भी एक कीर्तिमान है. मुझे यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है जब यह विधान सभा भोपाल से हटकर यहां आयी तो हमारे पास नियम की पुस्तिका भी नहीं थी लायब्रेरी की बात तो दूर की बात है इस दौरान सदस्यों ने भी कम मेहनत नहीं की. 2000 की संख्या में संदर्भ प्राप्त करके और पुस्तकालय का उपयोग कर उन्होने सदन में चर्चा को सार्थक बनाया, जिसकी सराहना पूरे देश में होती है.

संसदीय लोकतंत्र में शासन को विधायिका के प्रति उत्तरदायी माना गया है. उत्तरदायी शासन की भूमिका को यदि देखा जाए तो 99.95 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर इस दौरान सदस्यों को मिले जो अपने आप में उपलब्धि है. मुझे लोकसभा एवं अन्य विधान सभाओं की जानकारी है. 10 से 15 वर्ष और कहीं-कहीं 20 वर्ष पुराने आश्वासन पूर्ति हेतु लंबित हैं मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमारी विधान सभा में आश्वासनों की पूर्ति का प्रतिशत विभागवार 90 से 98 प्रतिशत है.

सभा समितियां जिन्हें मिनी सदन कहा जाता है का गठन प्रथम विधान सभा सत्र से ही कर दिया गया था. इस सचिवालय में 18 समितियां कार्यरत हैं और इन समितियों द्वारा अब तक 70 प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए गए हैं अर्थात् जिस त्वरित गति से समितियों ने अपनी बैठकों और प्रतिवेदनों के निपटारे का कार्य किया है वह किसी भी तीन वर्षीय विधान सभा के कार्यकाल के लिए गौरव की बात है. आप सभी को यह जानकारी है कि इस संक्षिप्त काल में इस विधान सभा ने 25 महत्वपूर्ण प्रकाशन किए हैं जिनमें हाल ही में प्रकाशित एवं वितरित **"सदस्य संदर्भ"** ग्रंथ भी शामिल है, इतने छोटे से कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में प्रकाशन कम महत्वपूर्ण बात नहीं है. इस दौरान सदस्यों की हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैने प्रयास किया, फिर वह चाहे पुस्तकालय, सदर्भ एवं सचिवालयीन आवश्यकताओं की पूर्ति का सवाल हो, चाहे वि.वि. गृह की आवश्यकताओं का रहा हो, मैं समझता हूं कि देश की पहली विधान सभा, हमारी विधान सभा ही है जिसमें प्रकाशन निकलने के तुरंत बाद ही **"संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार"** कॉल एंड शकधर पुस्तक का हिन्दी संस्करण व संविधान की पुस्तक सदस्यों को नि: शुल्क एवं अविलंब उपलब्ध कराई.

एक महत्तवपूर्ण पहल के रूप में इस प्रदेश के समस्त 16 जिलों की लगभग 70 शालाओं/महाविद्यालयों से डेड़ हजार छात्र-छात्राओं को सदन की कार्यवाही दिखाई गई, उनको मंत्री एवं सदस्यों से रूबरू करवाकर उनकी जिज्ञासाएं शांत करवाने का प्रयास हुआ. प्रदेश के छात्र-छात्राओं, जिनके लिए विधान सभा किताबों में पढ़ने की चीज रही थी, वे विधान सभा को कार्य रूप में देखकर बहुत उत्साहित रहे. यही नहीं द्वितीय वर्षगांठ के कार्यक्रमों में प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़कर **"लोक संसद"** एवं महाविद्यालयीन छात्रों से **"युवा संसद"** का आयोजन करवा कर एक उल्लेखनीय पहल की गई. इस दौरान छात्रों की निबंध प्रतियोगिता भी पूरे प्रदेश में सराही गई.

संसदीय रिपोर्टिंग के लिए सुविधाजनक परिस्थितियां बनाने के प्रयास भी इस दौरान हुए. कार्यवाही को ऑडियो, विडियो तरीके से पत्रकार कक्ष तक पहुंचाया गया है. सुविधायुक्त गैलरी व प्रेस कांफ्रेंस कक्ष का निर्माण किया गया है. पत्रकार बन्धुओं के लिये प्रबोधन कार्यक्रम हुए जिसमें मैं स्वयं भी उपस्थित रहा. परिणाम यह रहा कि संसदीय रिपोर्टिंग स्थापित मापदण्डों के अनुरूप रही और यही कारण है कि इस दौरान संसदीय अवमानना का एक भी मामला उनकी ओर से नहीं हुआ. प्रदेश के प्रिंट व इलेक्टानिक मीडिया ने देश में अपनी साख बनाई, यह मैं कह सकता हूं और वे साधुवाद के पात्र हैं.

आप सब नहीं भूले होंगे कि प्रथम विधान सभा की प्रगति यात्रा राजकुमार कालेज के जशपुर हॉल व सचिवालय का सफर खुले टेन्ट से प्रारंभ होकर इस सुंदर-सुसज्जित भवन तक पहुंचा है. इस परिसर को विकसित और भवन को उपयोग योग्य बनाने के जो प्रयास हुए उसका परिणाम है कि यह भवन देश की सर्वाधिक उपयुक्त व सुन्दर भवनों की श्रेणी में आ गया. यह खुशी की बात है कि भवन के विकास में केवल छत्तीसगढ़ के कलाकारों का ही सहयोग लिया गया जिनकी प्रतिभा भवन परिसर में लगी पेंटिंग्स, बेल मेटल व धातु प्रतिमाओं के रूप में आप सभी के सामने है जिसे अन्य राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने भी मुक्त कंठ से सराहा है.

परिसर के विकास और सचिवालय को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास अभी भी चल रहे हैं. परिसर में एक सुंदर ऑडिटोरियम बन रहा है जिसकी छत, जो छत्तीसगढ़ के नक्शे के आकार की है. छत में प्रत्येक जिले की सीमा और उनके भीतर मुख्य दर्शनीय स्थल पत्थर या धातु से बनवाकर रखने की योजना है. यह प्रयास है कि हर अतिथि छत्तीसगढ़ का वास्तविक रूप, मय दर्शनीय स्थलों के, एक ही स्थान पर देख ले. इस आडिटोरियम में एक आर्ट गैलरी रहेगी जिसमें लोकतंत्र के क्रमिक सचिवालय का पुस्तकालय कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है. इस विधान सभा का पुस्तकालय

प्रदेश ही नहीं वरन् देश का श्रेष्ठ पुस्तकालय बने इसके सुनियोजित प्रयास प्रारंभ किए गए हैं. पुस्तकालय में एक "नक्शा खंड" बनाया जा रहा है जिसमें देश व प्रदेश के प्रमाणित नक्शे उपलब्ध रहेंगे. एक बात और बताऊं जो कि पुस्तकालय से संबंधित है पूरे छत्तीसगढ़ में प्रकाशित बहुत पुराने जो कि पुरातत्व थे आज विषय हो गए हैं उनके हस्तलिपि और पांडुलिपियां और साथ-साथ अच्छे साहित्यकारों के भी प्रकाशन संग्रह करके रखे गए हैं. आपको एक जानकारी और दूंगा छत्तीसगढ़ की माटी के एक कवि बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा जो नहीं है और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं उनकी पूरी की पूरी लायब्रेरी लगभग 10 हजार पुस्तकों का सेट वे हमारे लायब्रेरी को भेंट देने जा रहे हैं. उनका मेरा निकट का संबंध रहा है इसे उनके कक्ष के नाम से विधान सभा में रखा जाएगा.

कुल मिलाकर हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाना है. मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि यह विधान सभा देश की सर्वश्रेष्ठ विधान सभा बनने की ओर सतत अग्रसर है. मैं इसे रेखांकित करता हूं.

माननीय सदस्यगण यह सब कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, अन्य मंत्रीगणों सहित माननीय सदस्यों के सहयोग के बिना सम्भव नहीं था. माननीय नेता प्रतिपक्ष, नए एवं पुराने उपाध्यक्ष, विपक्ष के हमारे साथी, पक्ष के हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री सभी का एक-एक का योगदान है. भौतिक व वित्तीय सहयोग जो शासन का मिला उसकी मैं सराहना भी करता हूं. आपसी सहयोग से हम जो मुकाम हासिल कर पाये हैं उसके लिये मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं. सदन को धन्यवाद देता हूं और आप सभी के प्रति आभार मानता हूं.

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि 1002 दिन के अब तक के कार्यकाल में हर दिन उपलब्धियों का दिन रहा. हर दिन के हर घंटे हमने कुछ न कुछ पाया. मैं समझता हूं कि यह सदन इस छोटी- सी यात्रा की बड़ी उपलब्धियों से संतुष्ट है. मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मैंने बहुत सारी नयी कमेटियां बनाई जिससे कि नये काम हों दूसरे विधान सभाओं या पार्लियामेंट में जो नहीं हो रहे हैं वह मैंने यहां शुरू कराया. मुझे इस बात का भी संतोष है कि एक भी बार अपने कार्यकाल में खाली यहीं के नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के कार्यकाल को जोड़कर भी कहता हूं कोई भी मार्शल का उपयोग नहीं किया. उस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है. मैंने अपनी तरफ से किसी को निलंबित नहीं किया. नियम बन गया वह बात अलग है उसका भी मुझे दुख है. आज मैं यहां पर एक बात और कह दूं कि वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ का हूं. मेरी पांचवीं, छठवीं पीढ़ी है, यहीं रचा-बसा हूं, गांवों की जिंदगी में पूरा संस्कार है, लेकिन जब ढाई वर्षों से रायपुर में आकर रहने लगा हूं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, यहां के लोगों और रायपुरवासियों का मुझे बहुत आशीर्वाद और स्नेह मिला है.

आज जब सदन की अंतिम बैठक समाप्ति की ओर है, मैं अपनी गल्तियों के लिए क्षमा मांगता हूं. मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, पत्रकार बंधु जिनका सहयोग और स्नेह मुझे अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान मिला वह मुझे सदैव याद रहेगा. सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से किए गए कार्यों के लिए मैं सुरक्षा अमले की भी प्रशंसा करता हूं. मैं सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके अथक परिश्रम का ही यह परिणाम है कि सचिवालय व्यवस्थित ढंग से कार्य कर पाया मैं मुख्य सचिव सहित शासकीय अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होने सभा एवं समितियों तथा मेरे हर कार्य में मुझे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया. मैं सारे मंत्रीगणों और सारे सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष महोदय श्री धर्मजीत सिंह ने भी उद्‌गार व्यक्त किए.

सदन में राष्ट्रगान धुन "जन-गण-मन" बजाई गई.

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन की घोषणा की.

इसके पश्चात् विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

* * *